

( भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 2 में प्रकाशनार्थ )

सं. 14012/14/2013-अ.भा.से.-।।।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर, 2013

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई करते हैं :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
1.	कौसिगन ए.	2009	31.08.2011
2.	मित्रा टी.	2009	31.08.2011
3.	वेंकटेशपति एस.	2009	31.08.2011

**नवनीत मिश्रा**  
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)